

बिहार सरकार
अभियोजन निदेशालय
गृह विभाग

ऑफिसर्स पलैट सं० V-5, न्यू पुनाईचक, पटना।

प्रेषक,

आनन्द किशोर, मा० प्र० से०
निदेशक अभियोजन
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
गया/बेतिया(प० चम्पारण)/मधुबनी/शिवहर/कटिहार/मुजफ्फरपुर/
लखीसराय/समस्तीपुर/हाजीपुर/पटना/रोहतास/सहरसा/खगड़िया
अररिया/बॉका/मधेपुरा एवं किशनगंज।

पटना, दिनांक 6.2.17

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2014 न्याय प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल) उपशीर्ष-0004 अभियोजन निदेशालय, मांग सं०-22 विपत्र कोड-N2014001140004 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय हेतु उपबंधित राशि से यात्रा भत्ता मद में कुल राशि 13,90,000/- (तेरह लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) का आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,



उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग बिहार, पटना के पत्रांक एम०-०४-०९/२०१४, २७९३ दिनांक ०४.०४.२०१६ एवं पत्रांक ४२३ दिनांक ३१.०३.२०१६ के आलोक में सभी संबंधित जिला को वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में माह मार्च, २०१७ तक व्यय हेतु मुख्यशीर्ष २०१४ न्याय प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष -०० लघु शीर्ष- ११४ विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल) उप शीर्ष-०००४ अभियोजन निदेशालय, मांग सं०- २२ विपत्र कोड-N2014001140004 के अन्तर्गत प्राप्त बजट उपबंध से यात्रा भत्ता मद (११ ०१) में निम्न राशि आवंटित की जाती है:-


क्रमांक	जिला का नाम	संबद्ध जिला/अनुमंडल कार्यालय	११ ०१ यात्रा भत्ता		
			पूर्व का आवंटन	वर्तमान का आवंटन	कुल आवंटन
१	२	३	४	५	६
१	गया	गया	-	४००००	४००००
२	प० चम्पारण	बगहा	-	६५०००	६५०००
३	मधुबनी	झंझारपुर	-	२१०००	२१०००
४	शिवहर	शिवहर	-	२००००	२००००
५	कटिहार	कटिहार	-	२५५००	२५५००
६	मुजफ्फरपुर (प०)	मुजफ्फरपुर (प०)	-	७८०००	७८०००
७	लखीसराय	लखीसराय	-	८९५००	८९५००
८	समस्तीपुर	दलसिंहसराय	-	७५०००	७५०००
९	हाजीपुर	हाजीपुर	-	५१०००	५१०००
१०	पटना	दानापुर	-	८००००	८००००
११	रोहतास	बिक्रमगंज	-	२८०००	२८०००
१२	सहरसा	सहरसा	-	४२०००	४२०००
१३	खगड़िया	खगड़िया	-	५००००	५००००
१४	अररिया	अररिया	-	१३००००	१३००००
१५	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	-	१४००००	१४००००
१६	बॉका	बॉका	-	१५००००	१५००००
१७	मधेपुरा	मधेपुरा	-	१४५०००	१४५०००
१८	किशनगंज	किशनगंज	-	१५००००	१५००००
		कुल		१३९००००	१३९००००

कुल आवंटित राशि- १३,९०,०००/- (तेरह लाख नब्बे हजार रुपये मात्र)।

(हस्ताक्षर)

1. संयुक्त राशि का आवंटन वित्त विभाग के पत्रक 2661/वि०.2/ दिनांक 17.04.98 के अन्तर्गत में किया गया है।
2. आवंटित राशि का उप-आवंटन सभी संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को किए जाने के पश्चात् राशि निकासी की जायगी।
3. यात्रा भत्ता की निकासी सक्षम पदाधिकारी द्वारा यात्रा भत्ता विपत्र प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् की जायगी।
4. यात्रा भत्ता की निकासी यात्रा भत्ता नियमावली/वित्तीय नियमावली तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र के आलोक में की जायगी। किसी भी प्रकार की अनियमित, अवैध, दोहरी एवं वित्तीय निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। अतः राशि की निकासी से पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस बात की जाँच कर ली जाय कि राशि की निकासी नियमानुसार की जा रही है।
5. आवंटित राशि का संधारण आवंटन पंजी में किया जायगा।
6. आवंटन आदेश <http://home.bih.nic.in> पर देखा जा सकता है।
7. आवंटित राशि का व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से अभियोजन निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।




प्र-पत्रक

कोशिका


विश्वासभोजन

निदेशक अभियोजन
बिहार, पटना।

ज्ञापांक.....75...../
अ० नि० (03)-02/2016 (बजट/आवंटन)

दिनांक.....6.2.17.....

- प्रतिलिपि—
1. महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
 2. संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. उप सचिव, गृह (आ०) विभाग, (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
 4. सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
 5. श्री राजीव रंजन सिन्हा, उप सचिव नोडल पदाधिकारी, गृह(विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
 6. श्री एस०एम०दूबे, आई०टी० मैनेजर को <http://home.bih.nic.in> पद पर Upload करने हेतु प्रेषित।
 7. संबंधित जिला अभियोजन पदाधिकारी/अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


प्र-पत्रक

कोशिका

निदेशक अभियोजन

बिहार, पटना।